Neutral Citation No. - 2025:AHC:29295

न्यायालय संख्या- 65

वाद:- आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 3455 वर्ष 2025
आवेदक:- अमन यादव
विपरीत पक्षकार:- उत्तर प्रदेश राज्य
आवेदक के अधिवक्ता:- रक्षा चौहान, उपेंद्र कुमार सिंह
विपरीत पक्षकार के अधिवक्ता:- शासकीय अधिवक्ता, पद्माकर पांडे, प्रदीप नारायण पांडे, रामानंद पांडे

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची संशोधित की गई है।

2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री उपेन्द्र कुमार सिंह और सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रामानन्द पाण्डेय और श्री प्रदीप नारायण पाण्डेय तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना तथा रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 0369 वर्ष 2024, धारा 123, 316(2), 351(2), 64, 308(2) भादवि, थाना नौबस्ता, जिला कानपुर नगर में विचारण के दौरान जमानत चाहता है।

अभियोजन पक्ष की कहानी:

4. आवेदक एक टैक्सी का निजी चालक बताया गया है, जिससे पीड़िता प्रतिदिन कानपुर से एक कॉलेज में शिक्षिका के रूप में अपनी ड्यूटी पर उपस्थित होने के लिए उन्नाव आती-जाती थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. बताया गया है कि आवेदक ने उसे धोखा दिया और मूर्ख बनाया तथा उससे 50,000 रुपये यह कहकर ले लिए कि वह उक्त ऋण चुकाने के लिए उसे 5000 रुपये प्रति माह लौटाता रहेगा। इसके बाद, आवेदक ने उसे खाने वाली भेल पूरी में कुछ मिलाकर बेहोश कर दिया और उसके साथ बलात्कार किया तथा आरोप है कि आवेदक ने उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें और वीडियो बना लीं तथा उसे ब्लैकमेल करता रहा और बाद में उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए।

6. आवेदक ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे कुछ रकम ले ली और यहां तक कि उसे एक स्विफ्ट डिजायर कार खरीदने के लिए मजबूर किया, जिसमें आवेदक को बीमा कागजात में खुद को उसका पति दिखाते हुए नामिती के रूप में नियुक्त किया गया था।

7. आवेदक ने पीड़िता का सोशल मीडिया अकाउंट भी हैक कर लिया था और उस पर कुछ अभद्र तस्वीरें और टिप्पणियां पोस्ट कर दी थीं।

8. आरोप है कि आवेदक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी कुछ अभद्र पोस्ट डाली थीं।

9. आवेदक ने दिनांक 19.07.2024 को पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित किया, जिसके आधार पर वर्तमान एफआईआर सूचनाकर्ता द्वारा दिनांक 02.08.2024 को दर्ज की गई।

आवेदक की ओर से तर्क:

10. आवेदक को गलत इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में बताए गए अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है।

11. एफआईआर में लगभग चौदह दिन की देरी हुई है और इस देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. जैसा कि परिस्थितियों से स्पष्ट है, पीड़ित पक्ष ही सहमति देने वाला पक्ष है, क्योंकि किसी भी प्रकार की अश्लील तस्वीर या वीडियो बरामद नहीं हुई है।

13. पीड़िता 43 वर्षीय महिला है और आवेदक 21 वर्षीय युवक है।

14. यह आवेदक द्वारा यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है, बल्कि मामला अन्यथा है।

15. विद्वान अधिवक्ता ने कुछ बैंक स्टेटमेंट पर भरोसा जताया है, जो हलफनामे के अनुलग्नक 7 के रूप में दायर किए गए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि आवेदक ने दिनांक 10.06.2024 को सूचनाकर्ता/पीड़ित के खाते में 20,000/- रुपये और दिनांक 14.06.2024 को 40,000/- रुपये हस्तांतरित किए थे।

16. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि कार को संयुक्त रूप से लेने का मामला एक प्रार्थना पत्र से पुष्ट होता है जो प्रभारी पुलिस स्टेशन नौबस्ता, कानपुर नगर को दिया गया था, जिसके द्वारा यह तय हुआ था कि उक्त स्विफ्ट डिजायर कार संख्या UP78 HU2576 के संबंध में मामला निस्तारित हो चुका है और पीड़ित आवेदक को 40,000/- रुपये का भुगतान करेगा।

17. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अन्य बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है कि फरवरी, 2024 के महीने में आवेदक ने पीड़िता के खाते में क्रमशः 10,000/- रुपये और 1500/- रुपये की राशि हस्तांतरित की थी।

18. बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता का बयान स्वयं ही झूठे आरोप का संकेत देता है, क्योंकि इसमें उसके साथ किए गए अपराध की तारीख और समय का उल्लेख नहीं है।

Translated Version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

19. धारा 316(2), 351(2) के अवयव पूरे नहीं हुए हैं।

20. घटना की कोई चिकित्सीय पुष्टि नहीं की गई है।

21. आवेदक की ओर से उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की झूठी पुष्टि करने के लिए कई अन्य दलीलें दी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, आवेदक को झूठे आरोप में फंसाने के लिए जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, उन पर भी विस्तार से चर्चा की गई है।

22. आवेदक दिनांक 10.08.2024 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

सूचनादाता/राज्य की ओर से तर्क:

23. जमानत अर्जी का विरोध इस आधार पर किया गया है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-3, कानपुर नगर द्वारा पारित जमानत अस्वीकृति आदेश स्वतः स्पष्ट है तथा उसमें उल्लेख है कि पीड़िता ने घटना के बाद अपने घर पर सीसीटीवी लगवा लिया था। यह भी उल्लेख है कि आवेदक ने पुलिस को 2 लाख रुपए की रिश्वत देकर दोनों पक्षकारों के बीच समझौता करवा दिया था।

24. विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि माननीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आर.सी. लाहोटी का एक निर्णय है, जिसमें कहा गया है कि निचली अदालत के जमानत अस्वीकृति या अनुमति आदेश पर पदानुक्रम में उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णय लेते समय विचार किया जाना चाहिए।

25. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक का चरित्र इस तथ्य से बदनाम है कि उसने इंस्टाग्राम आईडी पर कुछ अभद्र पोस्ट किए हैं, जिसमें उसने कहा है कि महिलाओं को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. Not for legal use.

पैसे से खरीदा जा सकता है, आपको इसे केवल अर्जित करना होगा। इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय को प्रदान किए गए थे, जिसमें आवेदक बड़े पैमाने पर जनता की ओर पैसे लहराते हुए दिखाई दे रहा है और उसने कैप्शन में उक्त तथ्य का उल्लेख किया है कि "महिलाओं को उन पर पैसा खर्च करके खरीदा जा सकता है।"

26. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि आवेदक का चरित्र एक अन्य तथ्य से भी कलंकित है, क्योंकि जेल से ही उसने आवेदक के बेटे को स्कूल से अगवा करने की कोशिश की थी और सूचनाकर्ता द्वारा पुलिस आयुक्त को एक आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर, उन्होंने पुलिस अधिकारियों को दिनांक 03.02.2025 को मामला दर्ज करने और जांच करने का आदेश दिया है। आवेदक एक ऐसा व्यक्ति है जो समाज में अपनी ताकत का लोहा मनवाता है और सलाखों के पीछे और जेल में बंद होने के बावजूद उसने सूचनाकर्ता के बेटे के अपहरण के संबंध में उक्त अपराध को अंजाम देने का प्रयास किया, ऐसे में आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।

निष्कर्ष:

27. *"जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, तब तक निर्दोषता की धारणा"* का सुप्रसिद्ध सिद्धांत, नियम के रूप में जमानत और अपवाद के रूप में कारावास की अवधारणा को जन्म देता है।
28. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इसलिए नहीं छीना जा सकता क्योंकि उस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप है, जब तक कि अपराध किसी उचित संदेह से परे साबित न हो जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और प्रक्रिया न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने ***सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 आईएनएससी 690*** में दोहराया है।

Translated version. Not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

29. ***मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आईएनएससी 595*** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए फिर से इस बात पर जोर दिया है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए, उसे नहीं भूलना चाहिए। अब समय आ गया है कि अदालतें इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि *"जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है"*।

30. विद्वान ए.जी.ए. ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति सामने नहीं ला सके, जिसके आधार पर आवेदक को जमानत देने से इंकार किया जा सके।

31. यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य अभियुक्त की सुनवाई में उपस्थिति सुनिश्चित करना है। विद्वान ए.जी.ए. द्वारा कोई भी भौतिक विवरण या परिस्थितियाँ नहीं दर्शाई गई हैं, जिनसे यह पता चलता हो कि आवेदक न्याय से भाग रहा है या न्याय की प्रक्रिया को बाधित कर रहा है या अपराध दोहराने या गवाहों को डराने-धमकाने आदि के रूप में अन्य परेशानियाँ पैदा कर रहा है।

32. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य, लंबित मुकदमे और अभियुक्तों की मिलीभगत, सजा की गंभीरता, विपरीत दलीलों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एफआईआर में 14 दिनों की देरी हुई है और यह भी तथ्य कि विद्वान अधिवक्ता ने माननीय पूर्व सीजेआई आरसी लाहोटी के संबंध में कुछ विधि व्यवस्था का उल्लेख किया है, लेकिन उक्त निर्णय को प्रस्तुत नहीं कर सके और यह भी तथ्य कि उक्त इंस्टाग्राम पोस्ट आवेदक द्वारा महिला के प्रति व्यक्त किए गए अनादर को दर्शा सकते हैं, लेकिन यह संकेत नहीं देता है कि उसने सूचनाकर्ता के साथ कोई अपराध किया है, इस स्तर पर, मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए एक मामला बनाया है। जमानत आवेदन **अनुज्ञात** किया जाता है।

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

33. आवेदक **अमन यादव**, जो उपरोक्त मामले में अपराध में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।
(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक को (1) मामले को खोलने, (2) आरोप विरचित करने और (3) धारा 351 बी.एन.एस.एस. के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय की गई तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्यवाही करना खुला होगा।

34. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

35. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय व्यक्त करने में किसी भी तरह से कोई बाधा नहीं आएगी।

आदेश दिनांक:- 3.3.2025

प्रिया

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।